(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 160/2024 **जीसीएमएस नम्बर :– 2024/365**

1. अमर सिंह पुत्र श्रीराम, जाति मेघवाल, निवासी गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0
2. दलीप पुत्र राम, जाति मेघवाल, निवासी गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0
3. मीना पुत्री श्रीराम, जाति मेघवाल, निवासी गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0

...........वादीगण

बनाम

1. चिरंजी पुत्र बसन्ती, जाति मेघवाल, निवासी गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0
2. भतेरी पुत्री श्रीराम, जाति मेघवाल, निवासी गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0
3. भागली पत्नि श्रीराम, जाति मेघवाल, निवासी गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0
4. माया पुत्री श्रीराम, जाति मेघवाल, निवासी गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0
5. सन्तरा पुत्री बसन्ती, जाति मेघवाल, निवासी गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0
6. सुमन पुत्री श्रीराम, जाति मेघवाल, निवासी गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, चिड़ावा, जिला झुन्झुनू राज0

...........प्रतिवादीगण

दावा बाबत– घोष्णामक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

<u>–:निर्णय:–</u> दिनांक:– 15/5/25

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वाके ग्रमा गुर्जरवास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0 के जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 के खाता संख्या 27 के खसरा नम्बर 284 रकबा 0.55 [illegible] भूमि में चिरंजी, दलीप पुत्रान राजबाला, सन्तरा पुत्री बसन्ती का हिस्सा 4/5, भागली [illegible] श्रीराम, अमर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सिंह पुत्र श्रीराम, भतेरी, अनिता उर्फ मीना, सुमन, माया, पुत्रिया श्रीराम हिस्सा 1/5 भाग दर्ज रिकॉर्ड है।

2. यह कि वाद वर्णित भूमि में हिस्से वादीगण व प्रतिवादीगण के गलत दर्ज कर दिये गये है। चिरंजी, दलीप पुत्रान राजबाला, सन्तरा पुत्री बसन्ती 4/5 दर्ज कर दिया गया। जबकि बसन्ती के राजबाला नाम की कोई सन्तान नहीं थी। उक्त नाम राजसव कर्मचारियों की लिपिकिय त्रुटि से दर्ज हो गया। बसन्ती के वारिसान चिरंजी, दलीप, सन्तरा व श्रीराम ने उक्त भूमि में हिस्से इस तरह दर्ज होने से चिरंजी, दलीप, सन्तरा पुत्री बसन्ती 3/4 व श्रीराम 1/4 हिस्सा दर्ज होने थे।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि में गत सप्ताह वादीगण राजस्व कर्मचारियों से अपनी भूमि पर रहन दर्ज करवाने के लिए नकल ली तो उन्हे पता चला कि उक्त भूमि के हिस्से गलत दर्ज हो गये व वादी संख्या–3 का नाम अनिता दर्ज कर दिया गया जबकि वादी संख्या–3 का नाम मीना है। वादी संख्या–3 के समस्त दस्तावेजों में भी मीना दर्ज हैं। इसलिए वादीगण को दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अपने नाम की घोषणा करवाने के लिए दावा घोषणात्क खातेदारी का करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण के हिस्से व गलत नाम दर्ज होने से वादीगण को भारी क्षति हो रही है। वादीगण अपनी भूमि का दान, रहन, बेचान व राज्य व केन्द्र सरकार से मिलने वाले लाभों से वंचित हैं। इससे वादीगण को अपूर्तनीय क्षति हो रही है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम गुजरवास, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 के जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 44 के खसरा नम्बर 284 में वादी संख्या–1 को 1/30 के बजाय शुद्धकर 1/24, वादी संख्या 2 को 1/30 के बजाय 1/24, वादी संख्या 3 का 1/30 के बजाय 1/24 शुद्ध दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

(ग). कि वाके ग्राम गुर्जरवास, स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 44 के खसरा नम्बर 284 रकबा 0.55 हैक्टर में वादी संख्या–3 का नाम अनिता पुत्री श्रीराम के बजाय मीना पुत्री श्रीराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें, एवं वादी संख्या 2 कानाम दलीप पुत्र राजपाल के स्थान पर दलीप पुत्र बसन्ती दर्ज किय जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी[illegible]लबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] श्री विधा कुमावत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा/इकबालिया [illegible]2024 को पेश किया गया। शेष बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके [illegible]द्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम गुजरवास स्थित भूमि हाल खाता संख्या 44 के ख0 न0 284 में वादी संख्या 1 को 1/30 के बजाय शुद्वाकर 1/24, वादी संख्या 2 को 1/30 के बजाय 1/24, वादी संख्या 3 का 1/30 के बजाय 1/24 शुद्व कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गुजरवास, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 के जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 44 के खसरा नम्बर 284 में वादी संख्या–1 को 1/30 के बजाय शुद्धकर 1/24, वादी संख्या 2 को 1/30 के बजाय 1/24, वादी संख्या 3 का 1/30 के बजाय 1/24 शुद्ध दर्ज कर वादी संख्या 3 का नाम अनिता पुत्री श्रीराम के स्थान पर मीना पुत्री श्रीराम व वादी संख्या 2 नाम दलीप पुत्र राजबाला के स्थान पर दलीप पुत्र बसन्ती दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 180/2024 जीसीएमएस नम्बर :– 2024/365

अमरसिंह आदि बनाम त्रिरजी आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–निर्णय–

वादी की ओर से श्री विकास कुमार एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री विजय कुमार एडवोकेट की उपस्थिति शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मुजफ्फरास, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 के जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 44 के खसरा नम्बर 284 में वादी संख्या–1 को 1/30 के बजाय शुद्धकर 1/24, वादी संख्या 2 को 1/30 के बजाय 1/24, वादी संख्या 3 का 1/30 के बजाय 1/24 शुद्ध दर्ज कर वादी संख्या 3 का नाम अनिता पुत्री श्रीराम के स्थान पर मीना पुत्री श्रीराम व वादी संख्या 2 नाम दलीप पुत्र राजबाला के स्थान पर दलीप पुत्र बलबीर दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना